अपील / एल.आर. / 1685 / 2005 / बून्दी
पृथ्वीराज बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.9.19	**एकल पीठ** **श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य** उपस्थित– श्री अनिल शर्मा, अभिभाषक अपीलांट श्रीमती पूनम माथुर, अति0 राजकीय अभिभाषक **निर्णय** यह अपील राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा प्रकरण सं. 137 / 2003 में पारित निर्णय दि015–1–2004 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956 की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया है। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में कथन किया कि आवंटन कमेटी ने आदेश दिनांक 17–6–99 द्वारा अपीलांट को विवादग्रस्त आराजी का आवंटन किया, जिसे निरस्त करवाने हेतु रेस्पोडेन्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) आवंटन नियम 1970 के तहत प्रस्तुत किया, जिसे अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बून्दी ने अपने निर्णय दिनांक 28–5–2003 द्वारा स्वीकार करते हुए भूमि अतिक्रमणशुदा मानते हुए आवंटन को नियम विरूद्ध मानकर आवंटन को निरस्त कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलांट ने राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जो आक्षेपित निर्णय दिनांक 15–1–2004 द्वारा निरस्त कर दी गई। उनका कथन है कि अपीलांट ने कोई तथ्य नहीं छुपाये हैं। अपीलांट के पक्ष में आवंटन कमेटी के समक्ष समस्त तथ्य थे, जिन्हें देखकर ही आवंटन किया गया है। उन्होंने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को पूर्णतया अविधिक एवं त्रुटिपूर्ण बताया। अंत में उन्होंने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र तथा अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विद्वान अति0 राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अपीलांट के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त करने हेतु तहसीलदार द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में भूमि एस.टी. के व्यक्ति के खाते से समर्पित होना लिखा है जबकि अपीलांट सवर्ण वर्ग का है। एस.टी के खाते से समर्पित की गई भूमि का आवंटन एस.टी. के व्यक्ति को ही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को किया गया आवंटन नियमानुकूल नहीं होने से आवंटन निरस्त करने में अतिरिक्त जिला कलक्टर ने कोई त्रुटि नहीं की है। उन्होंने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को विधि सम्मत बताते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अतिरिक्त जिला कलक्टर ने अपने निर्णय दिनांक 28–5–2003 द्वारा अपीलांट के पक्ष में किये गये आवंटन दिनांक 17–6–99 को निरस्त किया है तथा उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने निर्णय दिनांक 15–1–2004 द्वारा खारिज किया है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 15–1–2004 में यह अंकित किया है कि– ''आवंटन के बाद तहसीलदार द्वारा नियम 14 (4) में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इस आराजी को एस.टी. के खाते से समर्पित भूमि होना बताया है एवं आवंटी अपी0 सवर्ण वर्ग होने से उसके पक्ष में आवंटन नियम विरूद्ध होने से आवंटन निरस्त हेतु प्रार्थना की है। परन्तु भूमि एस.टी. के व्यक्ति के खाते से समर्पित होने बाबत कोई साक्ष्य पत्रावली में नहीं है फिर भी इस बिन्दु पर जांच किया जाना उचित व न्याय संगत प्रतीत होता है। परन्तु आराजी अतिक्रमण शुदा होने के कारण तथा इसी आराजी के लिए एक अन्य आवेदन जो कमेटी के समक्ष प्रस्तुत हुआ उस पर क्या कार्यवाही हुई यह पत्रावली पर स्पष्ट नहीं होने से अपी0 आवंटी के पक्ष में किये गये भू आवंटन को विधिवत व नियमानुकूल मानकर यथावत नहीं रखा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जा सकता। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन बून्दी द्वारा आवंटन निरस्ती आदेश विधि संगत पाया जाता है। अतः यथावत रखा जाता है। परन्तु चूकि इस आराजी पर अपी0 का अतिक्रमण है। अतः अपी0 यदि भूमिहीन है एवं यह आराजी अनुसूचित जाति के व्यक्ति के खाते से समर्पित भूमि नहीं है तो अपी0के पक्ष में प्राथमिकता पर इस भूमि के आवंटन हेतु कमेटी के समक्ष पुनः विचार व आदेशार्थ प्रस्तुत किया जावे।'' अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व अपील प्राधिकारी ने प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति को विस्तृत रूप से विवेचित करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। हम अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से पूर्णतया सहमत हैं एवं उसमें हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं। परिणामतः यह अपील खारिज की जाती है। तहत का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सुनील कुमार शर्मा)** **सदस्य**	